933

[2022] 13 एस. सी. आर 933

ए.

मेसर्स एम. ए. एम. ए. आर. इंडिया लिमिटेड बनाम

TARUN AGGARWAL प्रोजेक्ट्स एलएलपी और एएनआर। (2022 की सिविल अपील संख्या 6774)

बी.

30 सितंबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 11 (6)-मध्यस्थ की नियुक्ति-उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन को अनुमति देने वाले विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।11(5) & (6) और पक्षों के बीच विवाद के संबंध में मध्यस्थों की नियुक्ति करते हुए, मूल आवेदक-प्रतिवादी ने तत्काल अपील को प्राथमिकता दी है-आयोजितःजब एक विशिष्ट याचिका ली गई कि विवाद परिशिष्ट समझौते के खंड 36 के भीतर आता है और खंड 37 के तहत नहीं है और इसलिए, विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं है, तो उच्च न्यायालय को कम से कम एक प्राथमिक जांच करने और प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता थी कि क्या विवाद खंड 36 के तहत आता है या नहीं और क्या विवाद मध्यस्थता योग्य है या नहीं-उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की सराहना नहीं की और इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि समझौते को लागू करने के लिए खंड 3,6 और 9 में उल्लिखित विवाद के मामले में, विवाद बिल्कुल भी मध्यस्थता योग्य नहीं है-आक्षेपित निर्णय और आदेश जिसे उच्च न्यायालय द्वारा परिशिष्ट समझौते के खंड 37 के संदर्भ में मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए पारित किया गया है, इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है-मामला याद दिलाया जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

विद्या द्रोलिया और ओआरएस. वी.दुर्गा व्यापार निगम

(2021) 2 एससीसी 1:[2021] 6 जे. टी. 460; इंडियन ऑयल

निगम लिमिटेड बनाम एनसीसी लिमिटेड **2022** एससी ऑनलाइन

जी.

एससी 896 (2022 की सिविल अपील संख्या 341, पर निर्णय लिया गया

20.07.2022); ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामनरभेरम

पावर एंड स्टील (पी) लिमिटेड, (2018) 6 एससीसी 534:[2018] 4

एस**.** सी**.** आर**. 826;** राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम बनाम हीरा और रत्न ए

एच.

933

934 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

विकास निगम लिमिटेड **(2013) 5** एस**.** सी**.** सी**. 470:[2013] 4** एस**.** सी**.** आर**. 331;** हर्ष कंस्ट्रक्शन बनाम यूनियन ऑफ

भारत और ओआरएस। (2014) 9 एससीसी 246:[2014] 7 एससीआर 668;

बूज़ एलन एंड हैमिल्टन इंक. बनामएस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड

(2011) 5 एससीसी 532:[2011] 7 एस. सी. आर. 310; गारवेयर दीवार

रोप्स लिमिटेड बनामतटीय समुद्री निर्माण और

बी.

इंग.; (2019) 9 एससीसी 209:[2019] 5 एससीआर 579; यूनाइटेड

भारत बीमा कंपनी लिमिटेड बनामहुंडई इंग।&

कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (2018) 17 एस. सी. सी. 607:[2018] 12 एस. सी. आर. 1085-पर निर्भर।

उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड बनाम उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (2020) 2 एस. सी. सी. 455 -

सी.

संदर्भित किया गया।

संदर्भित विधि निर्णय

(2020) 2 एससीसी **455**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.1**

डी.

[2018] 4 एससीआर **826**

उस पर भरोसा करें

पैरा **6.2**

पैरा **6.3**

उस पर भरोसा करें

[2013] 4 एससीआर **331**

[2011] 7 एससीआर **310**

उस पर भरोसा करें

पैरा **6.5**

[2019] 5 एससीआर **579**

उस पर भरोसा करें

पैरा **6.7**

ई.

[2018] 12 एससीआर **1085**

उस पर भरोसा करें

पैरा **6.7**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2022 की सिविल अपील संख्या 6774।

अरब में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.12.2021 से। 2021 का पी. No.637।

एफ.

धनेश रेलान, सुश्री भावना कोहली, अरिंदम डे, सुश्री सौभाग्य सुंदरियाल, गौतम नारायण, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सिद्धार्थ भटनागर, सीनियर एड., सिद्धार्थ मित्तल, नदीम अफरोज, प्रचेता कर, आदित्य सिद्धरा, प्रभात कुमार, तपन एम., क्षितिज चौहान, एड.उत्तरदाताओं के लिए।

जी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 24.12.2021 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

एच.

935

मेसर्स एम. ए. एम. ए. आर. इंडिया लिमिटेड बनाम TARUN AGGARWAL प्रोजेक्ट्स एलएलपी और एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

दिल्ली ने 2021 की मध्यस्थता याचिका संख्या 637 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद मध्यस्थता अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 11 (6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थों को नियुक्त किया है, मूल प्रतिवादी-मेसर्स ए. एम. एम. ए. आर. इंडिया लिमिटेड ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

2. कि मूल याचिकाकर्ताओं-उत्तरदाताओं ने सेक्टर 62 और 65, गुरुग्राम में एक आवासीय कॉलोनी के विकास के लिए दिनांक 07.05.2009 पर एक सहयोग समझौता किया।इसके बाद, दोनों पक्षों के बीच 19.04.2011 दिनांकित एक और परिशिष्ट समझौते को निष्पादित किया गया।पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और यह मूल आवेदकों की ओर से मामला था- यहाँ उत्तरदाताओं ने कहा कि अपीलार्थी ने दिनांक 19.04.2011 के परिशिष्ट समझौते के तहत दायित्वों का पालन नहीं किया।उत्तरदाताओं-मूल आवेदकों/याचिकाकर्ताओं ने 2160 वर्ग किलोमीटर के 5 भूखंडों के भौतिक कब्जे की मांग करते हुए दिनांक 20.11.2019 पर एक कानूनी नोटिस जारी किया।yds।और रुपये की राशि का दावा करते हैं। उन्हें हुए नुकसान/क्षति के लिए 10 करोड़ रुपये।जैसा कि मूल याचिकाकर्ताओं के अनुसार-इसमें पक्षकारों के बीच विवाद मध्यस्थ थे, मूल याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को अपना मध्यस्थ नियुक्त किया।इसमें अपीलार्थी ने मध्यस्थ की नियुक्ति से इनकार कर दिया।इसलिए, इसमें प्रतिवादियों ने न्यायालय द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की मांग करते हुए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (5) और (6) के तहत एक आवेदन प्रस्तुत करके परिशिष्ट समझौते के खंड 37 के संदर्भ में मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

सी.

डी.

ई.

2.1 एतऽ अपीलार्थी द्वारा कथित मध्यस्थता याचिकाक विरोध एहि आधार सहित विभिन्न आधार उठा कऽ कयल गेल छल जे विवाद परिशिष्ट समझौताक खंड 36 क अन्तर्गत अबैत अछि, खंड 37 क अन्तर्गत नहि जाहिमे मध्यस्थता खंड सम्मिलित अछि।

एफ.

2.2 यह नोट करने के बावजूद कि परिशिष्ट समझौते के खंड 36 में कहा गया है कि खंड 3,6 और 9 के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, अन्य पक्ष को उचित न्यायालय के माध्यम से समझौते को विशेष रूप से लागू करने का अधिकार होगा, उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए परिशिष्ट समझौते के खंड 37 के संदर्भ में मध्यस्थों की नियुक्ति की है कि खंड 36 और 37 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि एक पक्ष को न्यायालय के समक्ष समझौते को लागू करने का अधिकार है, लेकिन यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के माध्यम से विवादों के निपटारे पर रोक नहीं लगाता है।ऐसा अवलोकन करते हुए, उच्च न्यायालय ने

जी.

एच.

धारा 11 (5) और (6) के तहत आवेदन को अनुमति दी है और मध्यस्थों को नियुक्त किया है, जो खंड 37 के संदर्भ में तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे।

2.3 उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (5) और (6) के तहत आवेदन की अनुमति देने और पक्षों के बीच विवाद के संबंध में मध्यस्थों की नियुक्ति करने वाले विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल प्रतिद्वंद्वी-प्रतिवादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री धनेश रेलान ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि धारा 11 (5) और (6) के तहत आवेदन को स्वीकार करते हुए और मध्यस्थों की नियुक्ति करते हुए, उच्च न्यायालय ने बिल्कुल भी यह नहीं माना है कि अपीलार्थी के अनुसार

विवाद समझौते के खंड 36 के भीतर आता है न कि खंड 37 के तहत।यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 36 के अनुसार पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी संघर्ष या मतभेद के मामले में या यदि कोई भी पक्ष अन्य बातों के साथ-साथ खंड 3,6 और 9 में उल्लिखित परिशिष्ट सहयोग समझौते के तहत दायित्वों के अपने हिस्से का पालन करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, तो दूसरे पक्ष को उचित न्यायालय के माध्यम से समझौते को विशेष रूप से लागू करने का पूरा अधिकार होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 37 के अनुसार, खंड 36 को छोड़कर या परिशिष्ट समझौते की शर्तों से उत्पन्न होने वाले या उनसे संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए खंड 3,6,9 के संबंध में किसी भी विवाद को उचित न्यायालय के माध्यम से हल करना होगा और ऐसा विवाद बिल्कुल भी मध्यस्थ नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने खंड 36 और 37 को नोट करने के बावजूद, यह तय किए बिना कि क्या विवाद खंड 36 के भीतर आता है, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थों को नियुक्त किया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

3.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जैसा कि इस न्यायालय ने उत्तराखंड के मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया है

पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड बनाम उत्तरी कोयला क्षेत्र

सीमित; (2020) 2 एस. सी. सी. 455, एक मध्यस्थ की नियुक्ति से इनकार किया जा सकता है यदि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में नहीं है, या विवाद मध्यस्थता समझौते से परे है।

जी.

3.2 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा इस मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है

विद्या द्रोलिया और ओआरएस। बनाम दुर्गा व्यापार निगम**; (2021) 2**

एस**.** सी**.** सी**. 1,** न्यायालय धारा **8** या **11** के स्तर पर हस्तक्षेप कर सकता है जब वह ए**.**

एच.

मेसर्स एम. ए. एम. ए. आर. इंडिया लिमिटेड बनाम TARUN AGGARWAL प्रोजेक्ट्स एलएलपी और एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से निश्चित है कि मध्यस्थता समझौता गैर-मौजूद, अमान्य या विवाद गैर-मध्यस्थ हैं, हालांकि गैर-मध्यस्थता की प्रकृति और पहलू, कुछ हद तक, न्यायिक जांच के स्तर और प्रकृति को निर्धारित करेगा।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त निर्णय में यह भी देखा गया है कि इस तरह की प्रतिबंधित और सीमित समीक्षा पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से रोकने और बचाने के लिए है जब मामला स्पष्ट रूप से "गैर-मध्यस्थता" है और डेडवुड को काटना है।

बी.

3.3 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भी इंडियन ऑयल के मामले में इस न्यायालय के हाल के फैसले पर भरोसा किया है।

निगम लिमिटेड बनाम एन**.** सी**.** सी**.** लिमिटेड**; 2022** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 896 (**सिविल अपील सं**. 2022** का **341,20.07.2022** पर तय किया गया**),** में

सी.

जो विद्या द्रोलिया (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने अन्य निर्णयों पर विचार करने के बाद यह मत व्यक्त किया है और अभिनिर्धारित किया है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के स्तर पर, यदि विवाद मध्यस्थता के संबंध में उठाया जाता है तो प्रारंभिक जांच की अनुमति है।

डी.

3.4 उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने समझौते के खंड 36 की वस्तुतः अनदेखी की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय को इस बात की प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता थी कि क्या समझौते के खंड 36 पर विचार करते हुए, पक्षों के बीच विवाद खंड 36 के भीतर आता है या नहीं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि प्रारंभिक जांच में यह पाया जाता है कि विवाद उस मामले में खंड 36 के भीतर आता है तो ऐसा विवाद बिल्कुल भी मध्यस्थ नहीं है।इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए।

ई.

4. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ भटनागर ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) के मामले में

इस न्यायालय द्वारा देखे गए और अभिनिर्धारित किए गए कि क्या विवाद मध्यस्थता योग्य है या नहीं, यह मध्यस्थता अधिनियम की धारा 16 के तहत एक आवेदन में मध्यस्थ पर छोड़ दिया जाना चाहिए और यह मध्यस्थ पर है कि वह विवाद की मध्यस्थता का निर्णय करे।

एफ.

जी.

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि समझौते के खंड 36 और 37 के संयुक्त अध्ययन और मध्यस्थता अधिनियम के तहत मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने के लिए पक्षों के इरादे पर, उच्च न्यायालय द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

एच.

938

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 13 एस सी आर।

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान वकील को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

6. इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठाया गया है वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (5) और (6) के तहत एक आवेदन में मध्यस्थों की नियुक्ति करने के लिए कोई प्रारंभिक जांच या जांच किए बिना उचित है कि क्या विवाद मध्यस्थता योग्य है या नहीं?6.1 उपरोक्त प्रश्न/मुद्दे पर विचार करते समय, समझौते के प्रासंगिक प्रावधानों, अर्थात् खंड 36 और 37 को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैंः-

बी.

सी.

"विवाद समाधान और क्षेत्राधिकार

36. पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी संघर्ष या मतभेद के मामले में या यदि कोई भी पक्ष इस परिशिष्ट सहयोग समझौते के तहत दायित्वों के अपने हिस्से का पालन करने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है, जैसा कि खंड 3,6 और 9 में उल्लिखित है, तो दूसरे पक्ष को इस समझौते को विशेष रूप से उपयुक्त अदालत के माध्यम से लागू करने का पूरा अधिकार होगा।

डी.

37. ऊपर उल्लिखित खंड 36 को छोड़कर, इस समझौते की शर्तों से उत्पन्न होने वाले या उन पर या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी या किसी भी विवाद का निपटारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा, जिसमें दोनों पक्ष एक-एक मध्यस्थ नियुक्त करने के हकदार होंगे और इस तरह नियुक्त मध्यस्थ किसी भी उच्च न्यायालय के तीसरे मध्यस्थ या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पद की नियुक्ति करेंगे।मध्यस्थता कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों या उस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन/संशोधन द्वारा शासित होगी।मध्यस्थता की कार्यवाही दिल्ली में होगी।"

ई.

एफ.

समझौते के खंड 36 को नंगे पढ़ने पर, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि खंड 3,6 और 9 में उल्लिखित किसी भी विवाद की स्थिति में, अन्य पक्ष को उचित अदालत के माध्यम से समझौते को विशेष रूप से लागू करने का अधिकार होगा।खंड 37 के अनुसार, खंड 36 को छोड़कर, परिशिष्ट समझौते की शर्तों से या उनके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी या कोई विवाद।इसका निपटारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा।इस प्रकार, खंड 3,6 और ए में उल्लिखित किसी भी विवाद के संबंध में

जी.

एच.

939

मेसर्स एम. ए. एम. ए. आर. इंडिया लिमिटेड बनाम TARUN AGGARWAL प्रोजेक्ट्स एलएलपी और एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

9, इस तरह के विवाद बिल्कुल भी मध्यस्थ नहीं हैं।यह विवादित नहीं हो सकता है कि दोनों पक्ष दिनांकित 19.04.2011 परिशिष्ट समझौते द्वारा शासित हैं।

6.2 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में। बनाम नरभेरम पावर एंड स्टील (पी) लिमिटेड, (2018) 6 एस. सी. सी. 534, यह मनाया और आयोजित किया जाता है।

इस न्यायालय द्वारा कि पक्ष नीति में उल्लिखित खंडों से बाध्य हैं और न्यायालय किसी खंड को फिर से लिखकर उसमें किसी भी इक्विटी को प्रतिस्थापित नहीं करता है।यह आगे देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि एक मध्यस्थता खंड का सख्ती से अर्थ लगाया जाना आवश्यक है।खंड में किसी भी अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से मध्यस्थता के इरादे को व्यक्त करना चाहिए।यह उस अभिधारणा को भी निर्धारित कर सकता है जिसमें मध्यस्थता खंड को प्रभावी नहीं किया जा सकता है।यह आगे देखा गया है कि यदि कोई खंड यह निर्धारित करता है कि

कुछ परिस्थितियों में कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती है और वे स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं तो मध्यस्थ की नियुक्ति से संबंधित विवाद को शांत करना होगा (पैरा 10-23)।

बी.

सी.

6.3 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम बनाम हीरा और रत्न विकास निगम लिमिटेड (2013) 5 एस. सी. सी. 470 के मामले में, यह इस द्वारा मनाया और आयोजित किया जाता है।

डी.

न्यायालय ने कहा कि एक पक्ष अनुबंध की शर्तों द्वारा कवर किए गए से अधिक कुछ भी दावा नहीं कर सकता है, इस कारण से कि अनुबंध दो पक्षों के बीच एक लेनदेन है और इसे खुली आंखों से और अनुबंध की प्रकृति को समझकर किया गया है।यह आगे देखा गया है कि इस प्रकार अनुबंध दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक समझौते का एक प्राणी होने के नाते शाब्दिक अर्थ देते हुए व्याख्या की जानी चाहिए जब तक कि उसमें कुछ अस्पष्टता न हो।अनुबंध की व्याख्या अनुबंध में निहित शब्दों को वास्तविक अर्थ देते हुए की जानी चाहिए और न्यायालय के लिए एक नया अनुबंध करने की अनुमति नहीं है, चाहे वह कितना भी उचित क्यों न हो, यदि पक्षों ने इसे स्वयं नहीं किया है।यह आगे देखा गया है कि अनुबंध की शर्तों को अनुबंध की प्रकृति में बदलाव किए बिना सख्ती से समझा जाना चाहिए क्योंकि यह किसी भी पक्ष के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है (पैरा 23)।

ई.

एफ.

6.4 हर्ष निर्माण बनाम भारत संघ के मामले में

और ओआरएस। **(2014) 9** एस**.** सी**.** सी**. 246,** यह इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ **18** और **19** में निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया हैः**-**

जी.

“18. मध्यस्थता एक अनुबंध से उत्पन्न होती है और जब तक कि एक विशिष्ट लिखित अनुबंध नहीं होता है, मध्यस्थता के संबंध में एक अनुबंध की कल्पना नहीं की जा सकती है।अधिनियम की धारा 7 (3) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि मध्यस्थता के संबंध में अनुबंध लिखित रूप में होना चाहिए।इस प्रकार, जहां तक अनुबंध के खंड 39 में निर्दिष्ट विवादों का संबंध है, मध्यस्थ के लिए मध्यस्थता करने का अधिकार नहीं था।

एच.

उक्त विवाद क्योंकि एक विशिष्ट खंड था जिसके तहत उक्त विवाद "अपवादात्मक" थे।इसके अलावा, जब कानून विशेष रूप से एक विशेष तरीके से अनुबंध के गठन के संबंध में कोई प्रावधान करता है, तो अनुबंध के संबंध में कोई धारणा नहीं हो सकती है यदि अनुबंध अधिनियम के तहत निर्धारित तरीके से नहीं किया गया है।

बी.

19. यदि एक गैर-मध्यस्थ विवाद को एक मध्यस्थ के पास भेजा जाता है और भले ही इस तरह के विवाद के संबंध में मध्यस्थ द्वारा कोई मुद्दा तैयार किया गया हो, हमारी राय में, इस आशय का कोई अनुमान या निष्कर्ष नहीं हो सकता है कि पक्षकार इस मुद्दे को मध्यस्थ के पास भेजने के लिए सहमत हुए थे।तत्काल मामले में, प्रतिवादी अधिकारियों ने मध्यस्थ के समक्ष विवादित मुद्दे की मध्यस्थता से संबंधित आपत्ति उठाई थी और फिर भी मध्यस्थ ने उक्त "अपवादात्मक" विवाद पर अपना निर्णय दिया था।हमारी राय में, मध्यस्थ उक्त "अपवादात्मक" विवाद का फैसला नहीं कर सकता था।इसलिए, हमारा मानना है कि मध्यस्थ के लिए उन मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं था जो मध्यस्थता योग्य नहीं थे और जहां तक गैर-मध्यस्थता संबंधी विवादों से संबंधित निर्णय का संबंध है, वह कानूनी रूप से गलत है और इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।”

सी.

डी.

6.5 विद्या द्रोलिया (उपर्युक्त) के मामले में हाल के निर्णय में, जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6-ए) के शामिल होने के बाद है, यह देखा गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी विवाद की गैर-मध्यस्थता का मुद्दा मध्यस्थता के लिए बुनियादी है क्योंकि यह मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण में कई कारणों से अधिकार क्षेत्र की कमी हो सकती है और गैर-मध्यस्थता के कई अर्थ हो सकते हैं।बूज़ ऐलन और हैमिल्टन के मामले में इस अदालत के एक और फैसले का उल्लेख करने के बाद

ई.

इंक. बनाम एस. बी. आई. होम फाइनेंस लिमिटेड [(2011) 5 एस. सी. सी. 532 (पैरा 34)], यह

एफ.

यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि गैर-मध्यस्थता के पहलू हैं, अर्थात् "(i) क्या विवाद मध्यस्थता द्वारा निर्णय लेने और निपटान करने में सक्षम हैं?अर्थात्, क्या विवादों को उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पक्षों (मध्यस्थ न्यायाधिकरण) द्वारा चुने गए एक निजी मंच द्वारा हल किया जा सकता है या क्या वे विशेष रूप से सार्वजनिक मंचों (अदालतों) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

जी.

((ii) क्या विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे में आते हैं?अर्थात्, क्या विवादों को मध्यस्थता समझौते में मध्यस्थता द्वारा तय किए जाने वाले मामलों के रूप में गिना या वर्णित किया गया है या क्या विवाद मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर रखे गए "अपवादात्मक मामलों" के अंतर्गत आते हैं।

एच.

941

मेसर्स एम. ए. एम. ए. आर. इंडिया लिमिटेड बनाम TARUN AGGARWAL प्रोजेक्ट्स एलएलपी और एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

((ग) क्या पक्षकारों ने विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा है?अर्थात्, क्या विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करने के दायरे में आते हैं, या क्या वे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष दायर दावे के बयान और प्रतिवाद से उत्पन्न नहीं होते हैं।कोई विवाद, भले ही वह मध्यस्थता द्वारा निर्णय लेने में सक्षम हो और मध्यस्थता समझौते के दायरे में आता हो, "मध्यस्थता योग्य" नहीं होगा यदि इसे मध्यस्थता के लिए संदर्भित विवादों की संयुक्त सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, या विवादों की ऐसी संयुक्त सूची के अभाव में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष अभिवचनों में उठाए गए विवादों का हिस्सा नहीं है।"

बी.

6.6 इस मुद्दे पर पहले के निर्णयों का उल्लेख करने और विस्तार से विचार करने के बाद, विशेष रूप से, गैर-मध्यस्थता और 'अपवादात्मक मामलों' के संबंध में, यह अंततः पैरा 76 में निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया है:"76. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम यह निर्धारित करने के लिए चार गुना परीक्षण का प्रस्ताव करना चाहेंगे कि मध्यस्थता समझौते में विवाद का विषय कब मध्यस्थता योग्य नहीं है:

सी.

डी.

76.1.(1) जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय आर. ई. एम. में कार्रवाई से संबंधित होता है, जो आर. ई. एम. में अधिकारों से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति में अधीनस्थ अधिकारों से संबंधित नहीं होता है।

76.2.(2) जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करता है; सर्वव्यापी प्रभाव पड़ता है; केंद्रीकृत निर्णय की आवश्यकता होती है, और आपसी निर्णय उचित और प्रवर्तनीय नहीं होगा;

ई.

76.3.(3) जब कार्रवाई का कारण और विवाद का विषय राज्य के अविभाज्य संप्रभु और सार्वजनिक हित के कार्यों से संबंधित हो और इसलिए आपसी निर्णय अप्रवर्तनीय होगा;

एफ.

76.4 (4) जब विवाद का विषय स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से अनिवार्य क़ानूनों के अनुसार गैर-मध्यस्थता योग्य हो।

76.5 ये परीक्षण जलरोधक डिब्बे नहीं हैं; वे डोवटेल और ओवरलैप होते हैं, हालांकि जब इन्हें समग्र और व्यावहारिक रूप से लागू किया जाता है तो यह भारत में कानून के अनुसार, जब कोई विवाद या विषय गैर-मध्यस्थता योग्य होता है, तो बहुत हद तक निश्चितता के साथ निर्धारित करने और पता लगाने में मदद करेगा।केवल तभी जब उत्तर सकारात्मक हो कि विवाद का विषय गैर-मध्यस्थ होगा।

जी.

एच.

76.6 हालाँकि, उपरोक्त सिद्धांतों को सावधानी और सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए जैसा कि ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स में देखा गया है

(पी**)** लिमिटेड बनाम मीना विजय खेतान और अन्य। **; (1999) 5** एससीसी

651 :(एस. सी. सी पी. 669, पैरा 35) "35. सार्वजनिक प्रकृति के आपराधिक अपराधों, अवैध समझौतों से उत्पन्न होने वाले विवादों और स्थिति से संबंधित विवादों, जैसे तलाक, जिन्हें मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है, जैसे कुछ विवादों का उल्लेख किया गया है। हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी आपराधिक मामले, जैसे कि शारीरिक

चोट से संबंधित तथ्यों के संबंध में, यदि व्यक्तिगत चोट के लिए हर्जाने का अधिकार है, तो ऐसे विवाद को मध्यस्थता (कीर बनाम लीमन) के लिए संदर्भित किया जा सकता है।इसी तरह, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पति और पत्नी मध्यस्थता की उन शर्तों का उल्लेख कर सकते हैं जिन पर वे अलग होंगे, क्योंकि वे उस मामले पर स्वयं के बीच एक वैध समझौता कर सकते हैं (सॉयलक्स बनाम हर्बस्ट, विल्सन बनाम विल्सन और काहिल बनाम काहिल)।" 6.7 इस सवाल पर कि विवाद की गैर-मध्यस्थता पर कौन निर्णय लेता है, इस मुद्दे पर पहले के फैसलों का उल्लेख करने और उन पर विचार करने के बाद, विशेष रूप से, गारवेयर वॉल रोप्स के मामलों में निर्णय।

बी.

सी.

डी.

लि**.** बनाम तटीय समुद्री निर्माण और इंजीनियरिंग।**; (2019) 9** एस**.** सी**.** सी**. 209;** यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। बनाम हुंडई इंग।**&** कंस्ट्रक्शन कं**.** लिमिटेड**; (2018) 17** एस**.** सी**.** सी**. 607,** और नरभेरम पावर

ई.

& स्टील (पी) लिमिटेड (उपर्युक्त) ने यह मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया कि जांच से संबंधित गैर-मध्यस्थता के प्रश्न, कि क्या विवाद मध्यस्थता खंड द्वारा शासित था, की अदालतों द्वारा संदर्भ स्तर पर ही जांच की जा सकती है और इसे अनुत्तरित नहीं छोड़ा जा सकता है, जिसकी जांच और निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकता है।इसके बाद, पैरा 153 में, यह देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 में "मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व" अभिव्यक्ति में मध्यस्थता समझौते की वैधता का पहलू शामिल होगा, हालांकि न्यायालय संदर्भ स्तर पर प्रथम दृष्टया परीक्षण लागू करेगा।यह आगे देखा गया है कि बहस योग्य और विवादास्पद तथ्यों और उचित रूप से तर्क योग्य मामले आदि के मामलों में, न्यायालय पक्षों को मध्यस्थता समझौते का पालन करने के लिए मजबूर करेगा क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र और गैर-मध्यस्थता के सवाल सहित विवादों को तय करने का प्राथमिक अधिकार क्षेत्र और अधिकार है।अंततः पैरा 154 में, विधि के प्रस्ताव को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया हैः

एफ.

जी.

"154. 'मध्यस्थता कौन तय करता है?' शीर्षक के तहत चर्चा।' निम्नानुसार क्रिस्टलीकृत किया जा सकता हैः

एच.

मेसर्स एम. ए. एम. ए. आर. इंडिया लिमिटेड बनाम TARUN AGGARWAL प्रोजेक्ट्स एलएलपी और एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

154.1.मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा के दायरे पर पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड में निर्णय का अनुपात, 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधनों के बाद (23 10-2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ) और यहां तक कि 2019 के अधिनियम 33 द्वारा संशोधनों के बाद (9-8-2019 से प्रभावी), अब लागू नहीं है।

बी.

154.2.मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 और 11 के तहत न्यायालय की न्यायिक समीक्षा और क्षेत्राधिकार का दायरा समान है लेकिन बेहद सीमित और प्रतिबंधित है।

154.3.2016 के अधिनियम 3 और 2019 के अधिनियम 33 से स्पष्ट विधायी जनादेश और पृथकता और क्षमता-क्षमता के सिद्धांत को देखते हुए सामान्य नियम और सिद्धांत यह है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और निर्णय लेने के लिए पसंदीदा पहला प्राधिकरण है।न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 (2) (ए) के उपखंड (i), (ii) या (iv) या धारा 34 (2) (बी) के उपखंड (i) के संदर्भ में निर्णय के बाद गैर-मध्यस्थता के पहलुओं पर "दूसरी बार देखने" की शक्ति प्रदान की गई है।

सी.

डी.

154.3.शायद ही कभी एक अवरोधक के रूप में न्यायालय धारा 8 या 11 के स्तर पर हस्तक्षेप कर सकता है जब यह स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से निश्चित हो कि मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में नहीं है, अमान्य है या विवाद गैर-मध्यस्थ हैं, हालांकि गैर-मध्यस्थता की प्रकृति और पहलू, कुछ हद तक, न्यायिक जांच के स्तर और प्रकृति को निर्धारित करेगा। प्रतिबंधित और सीमित समीक्षा पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से रोकने और बचाने के लिए है जब मामला स्पष्ट रूप से "गैर-मध्यस्थता" है और डेडवुड को काटना है। न्यायालय स्वाभाविक रूप से मामले को तब संदर्भित करेगा जब गैर-मध्यस्थता से संबंधित दलीलें स्पष्ट रूप से बहस योग्य हों; जब संक्षिप्त कार्यवाही में विचार अपर्याप्त और अनिर्णायक हो; जब तथ्यों का विरोध किया जाता है; जब मध्यस्थता का विरोध करने वाला पक्ष विलंबित रणनीति अपनाता है या मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन को बाधित करता है।यह न्यायालय के लिए एक लघु विचारण या विस्तृत समीक्षा में प्रवेश करने का चरण नहीं है ताकि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हड़प लिया जा सके, बल्कि एक वैकल्पिक विवाद समाधान

तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अखंडता और प्रभावकारिता की पुष्टि और उसे बनाए रखा जा सके।"

ई.

एफ.

जी.

6.8 विद्या द्रोलिया (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि शायद ही कभी एक अवरोधक के रूप में, न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

एच.

धारा 8 या 11 के स्तर पर जब यह स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से निश्चित हो कि

" मध्यस्थता समझौता अस्तित्वहीन, अमान्य या विवाद है

हालांकि गैर-मध्यस्थता की प्रकृति और पहलू, कुछ हद तक, न्यायिक जांच के स्तर और प्रकृति को निर्धारित करेंगे।यह आगे देखा गया है कि प्रतिबंधित और सीमित समीक्षा पक्षकारों को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर होने से रोकने और बचाने के लिए है जब मामला स्पष्ट रूप से "गैर-मध्यस्थता योग्य" है और डेडवुड को काटना है।"यह आगे देखा गया है कि संदर्भ स्तर पर प्रथम दृष्टया समीक्षा डेडवुड को काटने और सीधे मामलों में साइड शाखाओं को काटने के लिए है जहां बर्खास्तगी नंगे चेहरे और पेलुसिड है और जब तथ्यों और कानून पर मुकदमेबाजी को पहले चरण में रोकना चाहिए।

बी.

सी.

7. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए और समझौते के खंड 36 और 37 पर विचार करते हुए और जब एक विशिष्ट याचिका दायर की गई थी कि विवाद खंड 36 के भीतर आता है और खंड 37 के तहत नहीं है और इसलिए, विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं है, तो उच्च न्यायालय को कम से कम एक प्राथमिक जांच/समीक्षा करने की आवश्यकता थी और प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचना था कि क्या विवाद खंड 36 के तहत आता है या नहीं और क्या विवाद मध्यस्थता योग्य है या नहीं।इस तरह की प्राथमिक जांच

किए बिना और यह देखे जाने के बावजूद कि किसी पक्ष को खंड 36 के अनुसार न्यायालय के समक्ष समझौते को लागू करने का अधिकार है, इसके बाद, मध्यस्थों को केवल यह देखते हुए नियुक्त किया गया है कि यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के माध्यम से विवादों के निपटारे पर रोक नहीं लगाता है।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की सराहना नहीं की है और इस पर विचार नहीं किया है कि समझौते के प्रवर्तन के लिए खंड 3,6 और 9 में उल्लिखित विवाद के मामले में, विवाद बिल्कुल भी मध्यस्थ नहीं है।मामले के उस दृष्टिकोण में, मध्यस्थों की नियुक्ति करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए और खारिज कर दिया जाना चाहिए।हालाँकि, उसी समय, चूंकि उच्च न्यायालय ने इस बात की कोई प्रारंभिक जाँच नहीं की है कि क्या विवाद मध्यस्थता योग्य है या नहीं और/या क्या विवाद खंड 36 के तहत आता है या नहीं, हम इस मामले को उच्च न्यायालय को भेजना उचित समझते हैं ताकि विद्या द्रोलिया (उपरोक्त) के मामले में और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों और ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में उपरोक्त पर प्रारंभिक जाँच की जा सके और उसके बाद एक उचित आदेश पारित किया जा सके।

डी.

ई.

एफ.

जी.

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अपील सफल होती है।ए के खंड 37 के संदर्भ में मध्यस्थों की नियुक्ति करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश

एच.

945

मेसर्स एम. ए. एम. ए. आर. इंडिया लिमिटेड बनाम TARUN AGGARWAL प्रोजेक्ट्स एलएलपी और एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.]

दिनांकित 19.04.2011 का परिशिष्ट समझौता इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।मामला उच्च न्यायालय को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (5) और (6) के तहत आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने और प्रारंभिक जांच/समीक्षा करने के बाद एक उचित आदेश पारित करने के लिए भेजा जाता है कि क्या विवाद मध्यस्थता योग्य है या नहीं और/या क्या विवाद परिशिष्ट समझौते के खंड 36 के भीतर आता है या नहीं।तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।कोई लागत नहीं।

बी.

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.